

श्री 122  
 22/3/18

राजस्थान सरकार  
 शिक्षा(ग्राम-4) विभाग

दिनांक: 22 मार्च, 2018

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा-4 / 2009पार्ट

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाराष्ट्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ पी.एड.	(राशि रुपये में) बी.ए.-बी.एड./ बी.एड.-एम.एड. बी.एस.सी.-बी. एड.
1.	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2.	विविध शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3.	कम्यूटर शुल्क*	960.00			960.00
4.	अन्य गतिविधियां*	3600.00			3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

\* क्र.सं. 3 व 4 पर वर्धित शुल्क को प्रत्येक संस्थान/विद्यालय के लिए जमा नहीं होगा।

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को सत्र 2018-19/आगामी सत्रों के लिए संगत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क देना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदकों/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से केंद्रीय विकल्प उपलब्ध करवाएं।

1. द्यात्र 26,880/- का D/D चैक ग्रामोदम महाविद्यालय के नाम से बनवाएं।
  2. यदि 27000/- का D/D चैक बना दिया हो तो 1200/- का पस लौटा दिये जायेंगे।
- प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

(डॉ. सुभाष जीसी)  
 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रों, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई (एनआरसी) जीवननिधि- II, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।